



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2014/माघ 12, 1935

No. 246]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2014/MAGHA 12, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2014

**का.आ. 299(अ).**—जबकि स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (यहां इसके बाद 'सिमी' के रूप में निर्दिष्ट) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और जिनमें देश की शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने और धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को छिन्न-भिन्न करने की शक्ति है;

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जो यहां इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या क्रमशः (i) का.आ. 960 (अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2001; (ii) का. आ. 1113 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2003; (iii) का. आ. 191 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 2006; (iv) का. आ. 276 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2008 और (v) का. आ. 260 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2010 और (vi) का.आ. 224(अ) दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा सिमी को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया;

और जबकि, यह निर्णय करने के प्रयोजनार्थ कि सिमी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने का पर्याप्त कारण है या नहीं, धारा 5 के अनुसार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण (जो यहां इसके बाद 'अधिकरण' के रूप में निर्दिष्ट) गठित किया गया और अधिकरण ने अपने आदेशों की अधिसूचना संख्या क्रमशः (i) का.आ. 397 (अ) दिनांक 8 अप्रैल, 2002; (ii) का. आ. 499 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2004; (iii) का. आ. 1302 (अ), दिनांक 11 अगस्त, 2006; और (iv) का.आ. 1990 (अ) दिनांक 12 अगस्त, 2010 और (v) का.आ. 1745(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2012 द्वारा इस घोषणा की पुष्टि की है;

और जबकि, अधिकरण ने इसके दिनांक 1 अगस्त, 2012 के आदेश द्वारा सिमी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने वाली दिनांक 3 फरवरी, 2012 की अधिसूचना स. का. आ. 224 (अ) की पुष्टि की है;

और जबकि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (6) की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिबंध की अवधि, 2 फरवरी 2014 को समाप्त हो जाएगी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर यह राय है कि सिमी ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं; नामतः :—

- (क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 324, 153(क) जो धारा 149 के साथ पठित है और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 (1932 का 23) की धारा 7(1) के अंतर्गत मामला अपराध सं. 126/2012, आरोपी जावेद खान और 17 अन्य जिसमें 3-पूर्व-सिमी संवर्ग शामिल हैं, के विरुद्ध उनके द्वारा मदनापेट क्षेत्र में कुरमागुडा पर हनुमान मंदिर को अपवित्र करने के आरोप के परिणामस्वरूप **भड़की** साम्प्रदायिक घटना के संबंध में पीडित एम. शिवा शंकर रेड्डी पर धावा बोलने और उसे पीटने के सम्बंध में सैयदाबाद पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत है।

- (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 324, 153(क) जो धारा 149 के साथ पठित है और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 (1932 का 23) की धारा 7(1) के अंतर्गत मामला अपराध सं. 128/2012, आरोपी जावेद खान और 17 अन्य जिसमें 3-पूर्व-सिमी संवर्ग शामिल हैं, के विरुद्ध उनके द्वारा हिंदू नेताओं बंगारी प्रकाश और अन्यों पर हमला करने और उनके वाहन को क्षति पहुंचाने पर जब वे मदनापेट क्षेत्र में करुमागुडा में हनुमान मंदिर को अपवित्र करने के परिणामस्वरूप भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में सैयदाबाद क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, के संबंध में सैयदाबाद पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत है।
- (ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 427, 153(क) जो धारा 149 के साथ पठित है और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 (1932 का 23) की धारा 7(1) के अंतर्गत मामला अपराध सं. 130/2012, आरोपी जावेद खान और 17 अन्य जिसमें 3-पूर्व-सिमी संवर्ग शामिल हैं, के विरुद्ध उनके द्वारा मदनापेट क्षेत्र में करुमागुडा में हनुमान मंदिर को अपवित्र करने के परिणामस्वरूप भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में सैयदाबाद के श्रीनिवास रेड्डी पर हमला करने और उसकी कार की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त करने के संबंध में सैयदाबाद पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत है।
- (घ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 435, 153(क) जो धारा 149 के साथ पठित है और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 (1932 का 23) की धारा 7(1) के अंतर्गत मामला अपराध सं. 133/2012, आरोपी जावेद खान और 17 अन्य जिसमें 3-पूर्व-सिमी संवर्ग शामिल हैं, के विरुद्ध उनके द्वारा मदनापेट क्षेत्र में करुमागुडा में हनुमान मंदिर को अपवित्र करने के परिणामस्वरूप भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में एक व्यक्ति डी. राहुल सिंह पर ए.सी.पी. कार्यालय, मालाकपेट के नजदीक पत्थर से हमला करने के संबंध में सैयदाबाद पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत है।
- (ङ) मामला अपराध सं 24/2013, रनीप पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात में भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 120ख, 511 के अंतर्गत और कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 45 के अंतर्गत बम विस्फोट मामले में 14 विचारणाधीन आरोपियों के विरुद्ध इकट्ठा होकर षडयंत्र करने और वाटर टैंक के नीचे जमीन खोदने और न्यायिक हिरासत के प्रतिबंधित क्षेत्र में 10 से 12 फीट लम्बी सुरंग खोदने के कारण दर्ज किया गया। आरोपियों ने साबरमती केन्द्रीय कारागार के भीतर एक सुरंग खोदी और जेल से भागने का प्रयास किया।
- (च) मामला अपराध सं. 17/2013, डी0सी0बी0 पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217, 218, 201, 120(ख) के अंतर्गत 9 आरोपियों जिसमें जेल अधिकारी शामिल हैं, के विरुद्ध जेल से भागने के लिए साबरमती केन्द्रीय कारागार के सुरंग खोदने वाले कैदियों की सहायता करने और उन्हें बचाने के कारण दर्ज किया गया।
- (छ) मामला अपराध सं. 209/2013, कोतवाली पुलिस स्टेशन, खण्डवा, मध्य प्रदेश में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124(क) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13 के अंतर्गत पुराने मामला अपराध सं. 237/2006 जो कोतवाली पुलिस स्टेशन, खण्डवा, मध्य प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(क), 147, 452, 336 के अंतर्गत दर्ज में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124(क), 295(क) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13 को शामिल करने के लिए दर्ज किया गया।
- (ज) मामला अपराध सं. 541/2013, कोतवाली पुलिस स्टेशन, खण्डवा मध्य प्रदेश में 6 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 307, 353, 332 और इसके अतिरिक्त विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16 के अंतर्गत दर्ज किया गया। सभी आरोपी पूर्व-सिमी सदस्य हैं और 1 अक्टूबर, 2013 को खण्डवा जेल, मध्य प्रदेश से भागे हुए हैं।
- (झ) मामला अपराध सं. 542/2013, कोतवाली पुलिस स्टेशन, खण्डवा मध्य प्रदेश में 6 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 और इसके अतिरिक्त विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16 के अंतर्गत दर्ज किया गया। सभी आरोपी पूर्व-सिमी सदस्य हैं और 1 अक्टूबर, 2013 को खण्डवा जेल, मध्य प्रदेश से भाग गए।
- (ञ) मामला अपराध सं. 2/2012, ए.टी.एस., कालाचौकी पुलिस स्टेशन, मुम्बई, महाराष्ट्र में 5 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(क) 120(ख), 468, 477 जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 18 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 25 के साथ पठित हैं, के अन्तर्गत दर्ज किया गया। आतंकवाद विरोधी स्कवैड, महाराष्ट्र के औरंगाबाद यूनिट को सूचना मिली कि एक अबरार बनाम मुन्ना बनाम अब्दुला बनाम इस्माइल जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अर्थात् स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), इण्डियन मुजाहिदीन (आई.एम.) के सक्रिय सदस्य हैं और वर्ष 2008 में अहमदाबाद क्रमिक विस्फोट मामले में भगौड़ा था, आतंकवाद के कृत्य हेतु औरंगाबाद शहर में अपने साथियों से मिलने वाला था। औरंगाबाद के आतंकवाद विरोधी स्कवैड के अधिकारियों ने सिमी के भागे हुए सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। प्रचालन के दौरान संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस दल पर फायर किया, जिन्होंने स्व-रक्षा में उन पर जवाबी हमला किया और अंत में एक संदिग्ध व्यक्ति अर्थात् खलील बनाम अज़हर कुरेशी की मृत्यु हो गई और दो संदिग्ध व्यक्ति अर्थात् (1) मोहम्मद अबरार खान बनाम मुन्ना बाबू खान और (2) शेखर बनाम खलील अकिल खिलजी पकड़े गए। गोलीबारी की घटना और संदिग्धों की गिरफ्तारी के अनुसरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 333, 335, 336, 338, 352, 353 और 34 जो शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 25, 27 और मुम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित है, के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध वेगमपुरा पुलिस स्टेशन में सी.आर. सं. 25/2012 दर्ज किया गया।

उपर उल्लिखित आरोपित व्यक्तियों की गहन जांच के अनुसरण में, दिनांक 27.3.2012 को आतंकवादी विरोधी स्कवैड, अकोला यूनिट ने बुलदाना जिले में चिखाली और सेलानी गांव में रेड की और (1) अखिल यूसुफ खिलजी और (2) जाफर हुसैन, इकबाल हुसैन कुरेशी को नज़रबंद किया। रेड के दौरान और इन आरोपितों के घर की तलाशी के दौरान 1 फॉयर आर्म, 5 जीवन्त कारतूस, उत्तेजक साहित्य जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अर्थात् सिमी से संबंधित था, पकड़ा गया।

- (ट) मामला अपराध सं. 47/2012, वाशी रेलवे पुलिस स्टेशन, मुम्बई, महाराष्ट्र में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 147, 149, 327, 353, 332 के अंतर्गत 10 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया गया जो गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से एक आरोपी नामतः इकबाल उर्फ पप्पा शेख पुत्र गुलाम रसूल शेख एक सिमी कार्यकर्ता है। मामला गोवांडी रेलवे स्टेशन पर दंगे की घटना में दर्ज किया गया जिसमें एक बौद्ध संत को बेइज्जत किया गया और भीड़ द्वारा हमला किया गया जो दिनांक 11.8.2012 को अजाद मैदान में एक आंदोलन में भाग लेने जा रही थी। पुलिस कार्मिक की हैंडी-कैम भीड़ द्वारा क्षति ग्रस्त की गई। पुलिस ने उपरोक्त उल्लिखित सिमी कार्यकर्ता इकबाल उर्फ पप्पा शेख पुत्र गुलाम रसूल शेख को उसके सहयोगियों सहित दिनांक 23.8.2012 को पकड़ लिया।
- (ठ) मामला अपराध सं. 131/2012, निजामपुरा पुलिस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 120(ख) जो शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 25, 27 के और एम.सी.ओ.सी. अधिनियम 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) के साथ और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16(1) (ख) के साथ पठित है, के अंतर्गत 5 आरोपियों (पूर्व-सिमी कर्ताओं) के विरुद्ध हत्या के प्रयास हेतु दर्ज किया गया।
- (ड) मामला अपराध सं. 120/2012, रामदास पेठ पुलिस स्टेशन, अकोला, महाराष्ट्र में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 147, 148, 149, 324, 307, जो शस्त्र अधिनियम की धारा 4, 25 के साथ पठित है, के अंतर्गत 10 आरोपियों जिसमें 2 सिमी कार्यकर्ता शामिल है के विरुद्ध विधि विरुद्ध सभा करने और शिकायतकर्ता और गवाहों पर मृत्युकारित हथियारों द्वारा प्रहार करके हत्या के प्रयास हेतु मामला दर्ज किया गया।
- (ढ) मामला अपराध सं. 15/2013, जलगांव जमोद पुलिस स्टेशन बुलदाना, महाराष्ट्र में एक सिमी कार्यकर्ता सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 336, 504 के अंतर्गत शिकायतकर्ता पर पत्थर से प्रहार करके सिर में चोट लगाने के लिए मामला दर्ज किया गया।
- (ण) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन शाजापुर, मध्य प्रदेश में दर्ज मामला अपराध सं. 684/2001 में जे.एम.एफ.सी. शाजापुर न्यायालय द्वारा दो सिमी कार्यकर्ताओं को एक वर्ष के कारावास और प्रत्येक आरोपी को 500 रु. के जुर्माने से दंडित किया गया।
- (प) विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन शिवानी, मध्य प्रदेश में दर्ज मामला मामला सं. 423/2001 एक में जे.एम.एफ.सी. शिवानी न्यायालय द्वारा एक कार्यकर्ता को एक वर्ष के कारावास और 500 रु. के जुर्माने का दण्ड दिया गया है।
- (फ) दस सिमी कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन-कोतवाली, खण्डवा, मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क), 295, 124(क) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16 के अंतर्गत अपराध मामला सं. 256/2006 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के कारावास और 500 रु. के जुर्माने से दण्डित किया गया था और दो सिमी कार्यकर्ताओं को दो वर्षों के कारावास और 500 रु. के जुर्माने का दण्ड दिया गया था।
- (ब) दो सिमी कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन कोतवाली खण्डवा, मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क) 420, 467, 468, 469 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 20 वर्ष 2004 में संशोधित के अंतर्गत दर्ज मामला अपराध सं. 202/2008 में ए.एस.जे. चतुर्थ, खण्डवा न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3/13(2) के अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को दो वर्षों के कठोर कारावास और 5000 रु. के जुर्माने का दण्ड दिया गया और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3/13(2) के अंतर्गत प्रत्येक को पांच वर्षों के कठोर कारावास और 5000 रु. के जुर्माने से दण्डित किया गया था।
- (भ) एक सिमी कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन गौतम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत दर्ज अपराध मामला सं. 295/2001 में जे.एम.एफ.सी., भोपाल न्यायालय द्वारा एक वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रु. के जुर्माने से दण्डित किया गया था।
- (म) फास्ट ट्रेक न्यायालय-II, कोयम्बटूर में दिनांक 29.2.2012 को पांच सिमी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए अपना निर्णय दिया और पुलिस स्टेशन-खतूर, कोयम्बटूर, तमिल नाडू में दर्ज अपराध मामला सं. 722/1999 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124(क) और 153(ख) के अंतर्गत उन्हें तीन वर्षों के कठोर कारावास और 5000 रु. के जुर्माने से दण्डित किया।
- (य) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी (एन.आई.ए.) विशेष न्यायालय, कोच्ची केरल ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120(ख), 121, 121(क), 122, 123, 124(क), 212, 465, 471 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 जो धारा 13(2), 16, 17, 18, 19, 38, 39, 40 के साथ पठित हैं, के अंतर्गत चौबीस आरोपियों के विरुद्ध दर्ज अपराध मामला सं. आर.सी.-02/2010/एन.आई.ए./डी.एल.आई. में तेरह आरोपियों (दो सिमी कार्यकर्ताओं सहित) को दोषसिद्ध किया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और 50,000 रु. के जुर्माने से दण्डित किया था।

और जबकि केन्द्रीय सरकार इसके आगे यह मत रखती है कि यदि सिमी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को तत्काल नहीं रोका गया अथवा उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह

- (i) अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियां निरंतर रखने तथा भगौड़े कार्यकर्ताओं को पुनः संगठित करने में;
- (ii) साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़कर लोगों के मस्तिष्क को प्रदूषित करके देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को चरमराने;
- (iii) राष्ट्रद्रोही भावनाएं प्रसारित करने; तथा
- (iv) उग्रवाद का सहयोग करके अलगाववाद को बढ़ावा देने में;
- (v) देश की एकता तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों द्वारा

इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं।

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि सिमी की गतिविधियों का ध्यान रखते हुए सिमी को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा “स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)” को “विधिविरुद्ध संगठन” घोषित करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी आदेश के अध्यक्षीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

[फा. सं. 14017/2/2013-एन.आई.-III]

रश्मि गोयल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2014

**S.O. 299(E).**—Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the ‘**SIMI**’) has been indulging in activities which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the ‘**Act**’), the Central Government declared the SIMI as an unlawful association *vide* notification numbers, (i) S.O. 960(E), dated the 27th September, 2001; (ii) S.O. 1113 (E), dated the 26th September, 2003; (iii) S.O. 191 (E), dated the 8th February, 2006; (iv) S.O. 276(E), dated the 7th February, 2008; (v) S.O. 260(E), dated 5th February, 2010; and (vi) S.O. 224(E), dated 3rd February, 2012, respectively;

And whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the ‘**Tribunal**’) was constituted in terms of section 5 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as unlawful association and the Tribunal by its orders published *vide* notification numbers, (i) S.O. 397 (E), dated 8th April, 2002; (ii) S.O. 499 (E), dated 16th April, 2004; (iii) S.O. 1302(E), dated 11th August, 2006; (iv) S.O. 1990 (E) dated 12th August, 2010; and (v) S.O. 1745(E), dated 6th August, 2012, respectively, has confirmed the declaration so made;

And whereas, the Tribunal *vide* its Order dated 1st August, 2012 has confirmed the notification number S.O. 224(E), dated 3rd February, 2012 declaring SIMI as an unlawful association;

And whereas, the duration of ban under sub-section (1) of section (6) of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 will cease on the 2nd February, 2014;

And whereas, the Central Government is of the opinion that SIMI is indulging in activities which are prejudicial to the integrity and security of the country on the basis, inter alia, of the following grounds, namely:-

- (a) Case Crime No. 126/2012 has been registered at Saidabad Police Station, Hyderabad, Andhra Pradesh under sections 147, 148, 324 and 153(A) read with section 149 of the Indian Penal Code and section 7(1) of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 (23 of 1932) against the accused Javeed Khan and 17 others including 3 ex-SIMI cadres for attacking and beating the victim, M. Siva Shankar Reddy, in connection with an incident of communal flare up consequent to the alleged defiling of one Hanuman temple at Kurmaguda in Madannapet locality;
- (b) Case Crime No. 128/2012 has been registered at Saidabad Police Station, Hyderabad, Andhra Pradesh under sections 147, 148, 324 and 153(A) read with section 149 of Indian Penal Code and section 7(1) of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 (23 of 1932) against the accused Javeed Khan and 17 others including 3 ex-SIMI cadres for attacking the Hindu leaders Bangari Prakash and others and damaging their vehicle when they were visiting the locality of Saidabad in connection with communal flare up consequent to the alleged defiling of Hanuman temple at Karumaguda in Madannapet locality;
- (c) Case Crime No. 130/2012 has been registered at Saidabad Police Station, Hyderabad, Andhra Pradesh under sections 147, 148, 427 and 153(A) read with section 149 of Indian Penal Code and section 7(1) of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 (23 of 1932) against the accused Javeed Khan and 17 others including 3 ex-SIMI cadres for attacking one Srinivas Reddy of Saidabad and damaging window panes of his car in connection with the incident of communal flare up consequent to the alleged defiling of Hanuman temple at Kurmaguda in Madannapet locality;
- (d) Case Crime No. 133/2012 has been registered at Saidabad Police Station, Hyderabad, Andhra Pradesh under sections 147, 148, 435 and 153(A) of Indian Penal Code read with section 7(1) of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 (23 of 1932) against the accused Javeed Khan and 17 others including 3 ex-SIMI cadres for attacking one D. Rahul Singh with stones near ACP Office, Malakpet in connection with the incident of communal flare up consequent to the alleged defiling of Hanuman temple at Kurmaguda in Madannapet locality;

- (e) Case Crime No. 24/2013 has been registered at Ranip Police Station, Ahmedabad, Gujarat under Sections 224, 120B and 511 of Indian Penal Code read with section 45 of the Prisons Act, 1894 (9 of 1894) against 14 accused persons, undertrials in the case of bomb blasts, for assembling and conspiring and trying to escape Sabarmati Central Jail by digging the earth beneath the water tank and digging 10 to 12 feet long tunnel in prohibited area of judicial custody;
- (f) Case Crime No. 17/2013 has been registered at D.C.B. Police Station, Ahmedabad, Gujarat under sections 217, 218, 201 and 120(B) of the Indian Penal Code against 9 accused persons including jail officials for helping and shielding the prisoners who dug a tunnel in the Sabarmati Central Jail for escaping from the Jail;
- (g) Case Crime No. 209/2013 has been registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under section 124(A) of Indian Penal Code and sections 3, 10 and 13 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) against 1 accused person for inclusion of sections 124(A) and 295(A) of the Indian Penal Code and sections 3, 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in old Case Crime No. 237/2006 registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 153(A), 147, 452 and 336 of Indian Penal Code.
- (h) Case Crime No. 541/2013 has been registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 395, 307, 353 and 332 of Indian Penal Code and additionally, sections 3, 10, 13 and 16 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against 6 accused persons who are ex-SIMI members and escaped from the Khandwa Jail, Madhya Pradesh on 1st October, 2013;
- (i) Case Crime No. 542/2013 has been registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under section 224 of Indian Penal Code and additionally, sections 3, 10, 13 and 16 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against 6 accused persons who are ex-SIMI members and escaped from the Khandwa Jail, Madhya Pradesh on 1st October, 2013;
- (j) Case Crime No. 2/2012 has been registered at ATS Kalachowki Police Station, Mumbai, Maharashtra under sections 153(A), 120(B), 468 and 471 of the Indian Penal Code and sections 10, 13, 16 and 18 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 read with sections 3 and 25 of the Arms Act, 1959 against 5 accused persons. The Aurangabad Unit of the Anti Terrorist Squad, Maharashtra received information that one Abrar @ Munna @ Abdulla @ Ismail, an active member of the banned Students Islamic Movement of India (SIMI) and Indian Mujahiddin (IM) and an absconder in the Ahmedabad Serial Blast case of 2008, was likely to meet his associates in Aurangabad city for committing a terrorist act. The officers of Anti Terrorist Squad, Aurangabad Unit, laid a trap to arrest the absconding member of SIMI. During the operation, the suspect opened fire at the police party, who retaliated in self-defence and this ultimately resulted in the death of one of the suspect, namely, Khalil @Azhar Qureshi and detention of two suspects, namely, Mohd. Abrar Khan @ Munna Babu Khan and Shaker @Khalil Akil Khilji. Pursuant to the incident of exchange of fire and arrest of suspects, a cognizable offence vide Begumpura P.S. CR No. 25/2012 under sections 307, 333, 335, 336, 338, 352, 353 and 34 of Indian Penal Code read with sections 3, 25 and 27 of the Arms Act, 1959 read with section 135 of the Bombay Police Act was registered;

Pursuant to the thorough questioning of the aforementioned accused persons, the Anti Terrorist Squad, Akola Unit further conducted raids on the 27th March, 2012 in Chikhali and Sailani village in Buldana District and detained Akhil Yusuf Khilji and Jaffer Hussain Iqbal Hussain Qureshi and during the raid and house search of these accused persons, 1 fire arm, 5 live cartridges, inflammatory literature belonging to the banned SIMI was seized;

- (k) Case Crime No. 47/2012 has been registered at Vashi Railway Police Station, Mumbai, Maharashtra under sections 143, 147, 149, 327, 353 and 332 of the Indian Penal Code against 10 accused persons who were arrested out of which one accused namely, Iqbal @Pappa Gulam Rasul Shaikh is a SIMI activist. The case is registered in an incident of rioting at Gowandi Railway Station wherein a Buddhist Monk was humiliated and assaulted by a mob going to participate in Azad Maidan agitation on 11th August, 2012. The Handy-Cam belonging to Police personnel was damaged by the mob. The Police made arrest of above mentioned SIMI activist Iqbal @Pappa Shaikh s/o Gulam Rasul Shaikh with his associates on 23rd August, 2012;
- (l) Case Crime No. 131/2012 has been registered at Nijampura Police Station, Thane City, Maharashtra under sections 307 and 120(B) of the Indian Penal Code and sections 3, 25 and 27 of the Arms Act, 1959 and sections 3(1)(ii), 3(2) and 3(4) of the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (MCOCA) read with section 16(1)(b) of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against 5 accused persons (ex-SIMI activists) for attempt to murder;
- (m) Case Crime No. 120/2012 has been registered at Ramdas Peth Police Station, Akola, Maharashtra under sections 143, 147, 148, 149, 324 and 307 of the Indian Penal Code read with sections 4 and 25 of the Arms Act, 1959 against 10 accused persons including 2 SIMI activists for forming an unlawful assembly and attempting to murder by assaulting complainant and witnesses with deadly weapons;

- (n) Case Crime No. 15/2013 has been registered at Jalgaon Jamod Police Station, Buldana, Maharashtra under sections 324, 336 and 504 of the Indian Penal Code against 4 accused persons including 1 SIMI activist for assaulting the complainant with stone causing him head injury;
- (o) two SIMI activists were sentenced to one year imprisonment and a fine of ₹ 500/- was imposed on each accused by the Court of J.M.F.C. Shazapur in Case Crime No. 684/2001, registered at Police Station-Shazapur, Madhya Pradesh under sections 10 and 13 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (p) one SIMI activist was sentenced to one year imprisonment and a fine of ₹ 500/- was imposed by the Court of J.M.F.C., Siwani in Case Crime No. 423/2001, registered at Police Station-Siwani, Madhya Pradesh under section 10 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (q) ten SIMI activists were sentenced to three years imprisonment and a fine of ₹ 500/- was imposed on each accused and two SIMI activists were sentenced to two years imprisonment and a fine of ₹ 500/- was imposed on each accused by the Court of Third Addl. Sessions Judge, Khandwa in Case Crime No.256/2006, registered at Police Station-Kotwali, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 153(A), 295 and 124(A) of the Indian Penal Code and sections 3, 10, 13 and 16 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (r) two SIMI activists were sentenced to two years rigorous imprisonment and a fine of ₹ 5000/- was imposed on each accused under sections 3 and 10 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sentenced to five years' rigorous imprisonment and a fine of ₹ 5000/- was imposed on each accused under section 3/13(2) of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Court of A.S.J. Fourth, Khandwa in Case Crime No. 202/2008, registered at Police Station-Kotwali, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 153(A), 420, 467, 468 and 469 of the Indian Penal Code and sections 3, 10, 13 and 20 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 as amended in 2004;
- (s) one SIMI activist was sentenced to one year rigorous imprisonment and a fine of ₹ 1000/- was imposed by the Court of J.M.F.C., Bhopal in Case Crime No. 295/2001, registered at Police Station-Gautam Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh under section 10 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (t) the Fast Track Court-II, Coimbatore has pronounced judgment on 29th February, 2012 convicting five SIMI activists and sentenced them to three years' rigorous imprisonment with a fine of ₹ 5000/- under sections 124(A) and 153(B) of the Indian Penal Code in Case Crime No. 722/1999, registered at Police Station-Kattur, Coimbatore, Tamil Nadu;
- (u) the National Investigation Agency (NIA) Special Court, Kochi, Kerala has convicted thirteen (including two SIMI activists) accused persons and sentenced them to imprisonment for life and a fine of ₹ 50,000/- was imposed on each accused in Case Crime No. RC-02/2010/NIA/DLI, registered under sections 120(B), 121, 121(A), 122, 123, 124(A), 212, 465 and 471 read with section 34 of the Indian Penal Code and section 3, read with sections 13(2), 16, 17, 18, 19, 38, 39 and 40 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against twenty four accused persons;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to –

- (i) continue its subversive activities and re-organise its activists who are still absconding;
- (ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;
- (iii) propagate anti-national sentiments;
- (iv) escalate secessionism by supporting militancy; and
- (v) undertake activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) to be an "unlawful association" and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/2/2013-NI-III]

RASHMI GOEL, Jt. Secy.